न्यायालयः अपर जिला जज प्रथम, हापुड़।

उपस्थितः– हनी गोयल (उच्चतर न्यायिक सेवा) (UP2408)

सत्र वाद संख्या– 1957/2012 (मुख्य पत्रावली)

CNR No.– UPHP010001152012

उत्तर प्रदेश सरकार।

––––––अभियोजन पक्ष।

––बनाम––

1. **शौकीन उर्फ किंसू पुत्र जाफर, निवासी ग्राम नाहली, थाना भोजपुर, जिला गाजियाबाद।**
2. **अजीम पुत्र नसरूद्दीन, निवासी शमशाद रोड कस्बा व थाना पिलखुवा, जिला पंचशीलनगर, वर्तमान जिला हापुड़।**

––––––––अभियुक्तगण।

मु०अ०सं०– 231/2012
अंतर्गत धारा– 307/34 भा०दं०सं०
थाना– पिलखुवा, जिला हापुड़।

एवं

सत्र वाद संख्या– 1958/2012 (संबंधित पत्रावली)

सरकार बनाम शौकीन।

CNR No.–UPHP010001162012

मु०अ०सं०– 232/2012
अंतर्गत धारा– 25 आर्म्स एक्ट।
थाना– पिलखुवा, जिला हापुड़।

एवं

सत्र वाद संख्या– 1959/2012 (संबंधित पत्रावली)

सरकार बनाम अजीम।

CNR No.–UPHP010001172012

मु०अ०सं०– 233/2012
अंतर्गत धारा– 25 आर्म्स एक्ट।
थाना– पिलखुवा, जिला हापुड़।

<u>निर्णय</u>

1. थाना पिलखुवा, जिला हापुड़ की पुलिस द्वारा विवेचना उपरान्त मु०अ०सं० 231/2012 में अभियुक्तगण शौकीन उर्फ किंसू पुत्र जाफर, अजीम पुत्र नसरूद्दीन के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 307 भा०दं०सं०, मु०अ०सं० 232/2012 में अभियुक्त शौकीन उर्फ किंसू पुत्र जाफर के विरुद्ध अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम एवं मु०अ०सं० 233/2012 में अभियुक्त अजीम पुत्र नसरूद्दीन के विरुद्ध अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम आरोप पत्र न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, हापुड़ (गाजियाबाद) में प्रेषित किये गये। आरोप पत्रों पर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, हापुड़ (गाजियाबाद) द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया तथा प्रकरणों को सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया। न्यायालय द्वारा उपरोक्त धाराओं में अभियुक्तगण उपरोक्त का परीक्षण किया गया।

2. फर्द बरामदगी के अनुसार अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि "आज दिनांक 07.05.2012 को मैं विमल किशोर यादव एस०एच०ओ० मय एस०आई० श्री भगवत स्वरूप, कां० 151 रणधीर सिंह, कां० 241 अमित कुमार मय जीप सरकारी नं० UP 14 AG

Digitally signed by HONEY GOEL
Date: 2026.07.24 15:06:37 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

0310 कां० ड्राइवर मदन पाल सिंह के थाने से बहवाले रपट नं०– 45 समय 18.40 बजे व गरज चैकिंग संदिग्ध वाहन व्यक्ति व गश्त शांति व्यवस्था ड्यूटी हेतु अंदर इलाका रवाना होकर पुलिस चौकी छिजारसी पर चैकिंग करने के उपरान्त गश्त पिलखुवा कस्बा में करता हुआ मोहल्ला रमपुरा में मुकीमपुर ग्राम को जाने वाले रास्ते के मोड़ पर आया तो मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि दो बदमाशों का गैंग सरस्वती इंजीनियरिंग कॉलेज के पास फरीदनगर डूहरी पेट्रोल पम्प को जाने वाले रोड पर आने जाने वाले वाहनों एवं व्यक्तियों की लूटपाट कर लेंगे। सूचना पर विश्वास करके कां० 224 कौशलेन्द्र सिंह व कां० 249 रविन्द्र पाल, जो कि लैपर्ड ड्यूटी में थे, जिनको तललब कर मोटरसाइकिल को रमपुरा में ही खड़ी कराकर हमराह लेकर मय मुखबिर के बताये स्थान को चले कि आसनायराह से जनता से गवाहान को मकसद बताकर फराहम करने की कोशिश की गयी, परन्तु जनता का कोई भी व्यक्ति गवाही हेतु साथ चलने को तैयार नहीं हुआ और किसी के द्वारा अपना नाम पता भी नहीं बताया गया और चले गये। बामजबूरी हम सभी ने आपस में एक–दूसरे की जामा तलाशी ले व देकर विश्वास किया कि किसी के पास कोई अवैध शस्त्र व कारतूस व अन्य जुर्म संबंधी वस्तु नहीं है। इसके बाद दिनेश नगर के पास वाले रास्ते से फरीद नगर डूहरी पेट्रोल पम्प को जाने वाले रोड पर आये। जीप सरकारी को मय चालक के छोड़कर जीप से उतरकर हमराही मुखबिर खास ने इशारा करके बताया कि सरस्वती इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने जो खड़े दोनों व्यक्ति बदमाश लुटेरे हैं, कहकर वापस चला गया और हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज के पास पहुंचकर सड़क पर खड़े व्यक्तियों की तरफ टॉर्च की रोशनी डालते हुए मुझ एस०एच०ओ० ने ललकारते हुए कहा कि कौन हो तो इतने पर ही दोनों बदमाशों ने अपने हाथों में लिये हुए हथियारों से पुलिस पार्टी के ऊपर जान से मारने की नीयत से दो फायर किये कि हम पुलिस वालों ने पोजिशन लेकर बाल बाल बचकर कि घेरकर दबिश देकर दूसरा फायर करने वाले को मौका दिये बिना आवश्यक बल का प्रयोग करके दौड़कर इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने सड़क पर दौड़ाकर पिस्टल लिए बदमाश को कां० कौशलेन्द्र सिंह ने तथा तमंचा लिए हुए बदमाश को कां० रणधीर सिंह ने समय करीब 22.20 बजे पकड़ लिया। पकड़े जाने पर नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी वाजाफ्ता व कायदा ली गयी तो एक ने अपना नाम शौकीन उर्फ किंसू पुत्र जाफर, निवासी ग्राम नाहली, थाना भोजपुर, जिला गाजियाबाद बताया। जामा तलाशी से दाहिने हाथ से एक अदद पिस्टल देशी 32 बोर बरामद हुई। बट के अंदर नीचे से एक मैग्जीन निकालकर देखा गया तो दो कारतूस जिंदा बरामद हुए तथा पहने पेण्ट की बायीं जेब से एक मैग्जीन लोहे की अतिरिक्त बरामद हुई। दूसरे ने अपना नाम अजीम पुत्र नसरूद्दीन, निवासी मोहल्ला शमशाद रोड माता के पास कस्बा व थाना पिलखुवा, जिला हापुड़ बताया कि जामा तलाशी पर दाहिने हाथ से एक अदद तमंचा देशी लोहा तथा पहने पेण्ट की दाहिनी जेब से दो कारतूस जिंदा बरामद हुए। पकड़े गये बदमाशों से शस्त्र व कारतूस रखने का लाइसेंस तलब किया तो दिखाने में कासिर रहे। अपनी गलती की क्षमा मांग रहे हैं। पिस्टल व तमंचा की नालों को सूंघा गया तो ताजी चली बारूद की गंध आ रही है। हमराह एस०आई० श्री भगवत स्वरूप से टॉर्च की रोशनी में इधर–उधर जमीन पर देखा गया तो फायर करने वाले स्थान पर एक खोखा कारतूस 32 बोर चला हुआ, बरामद हुआ। दोनों अभियुक्तगण को इनके अपराध से अवगत कराया गया। नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया। बरामद शस्त्र/कारतूस व खोखों को कब्जे पुलिस लेकर बरामदगी के अनुसार अलग–अलग कपड़ो में पिस्टल के खोखा कारतूस को पिस्टल के साथ ही कपड़े में रखकर सिलकर सर्व मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया। गिरफ्तारी के दौरान मानवाधिकार आयोग व सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं

निर्देशों का पूरी तरह पालन किया गया। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी की सूचना थाने पहुंचकर नियमानुसार इनके परिजनों को उचित माध्यम से भिजवायी जाएगी। फर्द की एक प्रति दोनों अभियुक्तगण की सहमति से शौकीन उर्फ किंसू को देकर अलामात बनवाये जाते हैं।"

3. फर्द बरामदगी एवं गिरफ्तारी अभियुक्तगण के आधार पर विवेचक द्वारा मु०अ०सं० 231/2012 विरुद्ध अभियुक्तगण शौकीन उर्फ किंसू पुत्र जाफर, अजीम पुत्र नसरूद्दीन अंतर्गत धारा 307 भा०दं०सं०, मु०अ०सं० 232/2012 विरुद्ध अभियुक्त शौकीन उर्फ किंसू पुत्र जाफर अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम एवं मु०अ०सं० 233/2012 विरुद्ध अभियुक्त अजीम पुत्र नसरूद्दीन अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम मुकदमे पंजीकृत किये गये तथा विवेचना आरंभ हुई।

4. विवेचनाधिकारी द्वारा साक्षियों का साक्ष्य दर्ज किया गया और विवेचना के उपरान्त मु०अ०सं०– 231/2012 में अभियुक्तगण शौकीन उर्फ किंसू पुत्र जाफर व अजीम पुत्र नसरूद्दीन के विरुद्ध धारा 307 भा०दं०सं० के अंतर्गत, मु०अ०सं०– 232/2012 में अभियुक्त शौकीन उर्फ किंसू के विरुद्ध धारा 25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत एवं मु०अ०सं० 233/2012 में अभियुक्त अजीम के विरुद्ध धारा 25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, हापुड़ (गाजियाबाद) को प्रेषित किये गये। आरोप पत्रों पर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, हापुड़ (गाजियाबाद) द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया तथा प्रकरणों को सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया।

5. अभियुक्तगण सत्र न्यायालय में उपस्थित आये तथा सत्र न्यायालय द्वारा दिनांक 08.01.2013 को मु०अ०सं० 231/2012 में अभियुक्तगण शौकीन उर्फ किंसू, अजीम के विरुद्ध धारा 307/34 भा०दं०सं० के अंतर्गत, मु०अ०सं०– 232/2012 में अभियुक्त शौकीन उर्फ किंसू के विरुद्ध धारा 25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत एवं मु०अ०सं० 233/2012 में अभियुक्त अजीम के विरुद्ध धारा 25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया तथा परीक्षण की मांग की। साथ ही तीनों प्रस्तुत प्रकरणों में एक ही घटना होने के कारण पत्रावलियों को इकजाई किया गया तथा न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष को अपना संपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया।

6. परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर निम्न अभियोजन साक्षीगण को साक्ष्य में परीक्षित कराया गया तथा निम्न अभियोजन साक्षीगण द्वारा अपने नाम के सम्मुख अभिलिखित अभियोजन प्रपत्र को न्यायालय के समक्ष हुए अपने बयान के माध्यम से सिद्ध किया गया–

अभियोजन साक्षी संख्या	अभियोजन साक्षी का नाम	विवरण	संबंधित अभियोजन प्रपत्र	के रूप में सिद्ध किया
पी०डब्ल्यू–01	एस०आई० भगवत स्वरूप	फर्द लेखक	फर्द बरामदगी	प्रदर्श क–01
पी०डब्ल्यू–02	सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक विमल	फर्द का गवाह	फर्द बरामदगी पुलिंदा कपड़ा, शौकीन	.... वस्तु प्रदर्श–01

	किशोर यादव		पिस्टल देशी 32 बोर मैग्जीन जिंदा कारतूस खोखा कारतूस पुलिंदा कपड़ा, अजीम तमंचा देशी 9 MM जिंदा कारतूस खोखा कारतूस	वस्तु प्रदर्श–02 वस्तु प्रदर्श–03 वस्तु प्रदर्श–04 वस्तु प्रदर्श–05 वस्तु प्रदर्श–06 वस्तु प्रदर्श–07 वस्तु प्रदर्श–08 वस्तु प्रदर्श–09
पी०डब्ल्यू–03	सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक रोशन लाल	विवेचक	नक्शा नजरी आरोपपत्र, मुअसं 231/12 **आरोपपत्र, मुअसं 232/12** आरोपपत्र, मुअसं 233/12 चिक एफ०आई०आर० जी०डी०	प्रदर्श क–02 प्रदर्श क–03 **प्रदर्श क–04** प्रदर्श क–05 प्रदर्श क–06 प्रदर्श क–07

7. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्तगण के बयान अंतर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत दर्ज किये गये। अभियुक्तगण द्वारा स्वयं को निर्दोष बताते हुए कथन किया गया कि वे निर्दोष हैं, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। पुलिस ने उन तीनों को गलत तरीके से मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा था। उन्हें पुलिस ने झूठा फंसाया गया।

8. बचाव पक्ष/अभियुक्तगण की ओर से अपने बचाव में कोई बचाव साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

9. विद्वान अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की तर्कपूर्ण बहस सुनी गयी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का परिशीलन किया गया।

10. अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से उपनिरीक्षक भगवत स्वरूप को बतौर पी०डब्ल्यू०–01 परीक्षित कराया गया जिनके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किये गये कि "दिनांक 07.05.2012 को मैं थाना पिलखुवा में एस०आई० के पद पर नियुक्त था। उस दिन एस०एच०ओ० वी०के० यादव, कान्स्टेबल रणवीर, कान्स्टेबल अमित कुमार, जीप सरकारी नं० यूपी 14ए० जी० 0310 ड्राईवर मदन पाल सिंह के साथ थाने से रपट नं० 45 समय 18.40 बजे शांति व्यवस्था हेतु गश्त व चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति, वाहन में रवाना होकर पुलिस चौकी छिजारसी पर चैकिंग करने के उपरांत गश्त करते हुए पिलखुवा कस्बे में भोला रमपुरा में मुखीमपुर ग्राम को जाने वाले रास्ते के मोड़ पर पहुंचे तो मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गयी कि दो बदमाशों का गैंग इंजीनियरिंग कालेज के पास फरीदनगर में डूहरी पेट्रोल पम्प के जाने वाले रोड पर लूट पाट करने के उद्देश्य से मौजूद है, जो अवैध असलाह कारतूस भी लिये है। यदि जल्दी की जाये तो पकड़े जा सकते हैं। सूचना पर विश्वास करके कान्स्टेबल कौशलेन्द्र व कान्स्टेबल रविन्द्र पाल मोटरसाइकिल मोबाइल हेतु ड्यूटी पर थे, को तलब कर मोटरसाइकिल रमपुरा

मोहल्ला में खड़ी करके हम जनता के गवाहान को मकसद बताकर साथ लेने का प्रयास किया, लेकिन कोई व्यक्ति तैयार नहीं हुआ और कोई भी साथ चलने को तैयार नहीं हुआ। किसी के भी द्वारा अपना नाम पता नहीं बताया गया। बामजबूरी हम सभी ने मय मुखबिर के एक दूसरे की जामा तलाशी ले देकर विश्वास किया कि किसी के पास कोई जुर्म सम्बंधी वस्तु नहीं है। दिनेश नगर के पास फरीदनगर डूहरी पेट्रोल पम्प को जाने वाले रास्ते पर आये तो हमराह मुखबिर ने बताया कि इंजीनियरिंग कालेज के पास खड़े व्यक्ति ही बदमाश हैं। खड़े व्यक्तियों की तरफ टार्च की रोशनी डालते हुए ललकारा गया तो बदमाशों ने कहा कि पुलिस है, मारो गोली। इस पर दोनों बदमाशों ने अपने हाथ में लिये असलाहों से हम पुलिस वालों पर जान से मारने की नीयत से एक–एक फायर कर दिया। हम पोजीशन लेकर बाल बाल बचे और एकदम घेर घोटकर आवश्यक बल प्रयोग करके इंजीनियरिंग कालेज के सामने पिस्टल वाले बदमाश को कान्स्टेबल कौशलेन्द्र व तमंचा वाले बदमाश को कान्स्टेबल रणधीर ने समय करीब 22.00 बजे पकड़ लिया। पकड़े जाने पर उनसे नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो एक ने अपना नाम शौकीन उर्फ किस्सू पुत्र जाफर, निवासी नाहली, थाना भोजपुर, गाजियाबाद बताया व दाहिने हाथ से एक पिस्टल 32 बोर व एक मैग्जीन, पहनी टीशर्ट की बायीं जेब से बरामद हुई। पिस्टल की मैग्जीन को निकालकर देखा गया तो दो जिंदा कारतूस, 7.65 के०एफ० पेंदी पर लिखा था, मैग्जीन पर नं० 500 दोनों पर लिखा था। दाहिने तरफ T–65 AUND तथा बायीं तरफ ATO पिस्टल मेड इन यू०एस०ए० लिखा था। दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम अजीम पुत्र नसरूद्दीन, निवासी मोहल्ला समशाद रोड माल के पास कस्बा व थाना पिलखुवा बताया। इसके दाहिने हाथ से एक तमंचा देशी बरामद हुआ। दाहिनी जेब से दो कारतूस जिंदा 9 एमएम मिले। पिस्टल 9 एमएम व कारतूस व शौकीन से बरामद व पिस्टल रखने का लाईसेंस तलब किया गया, तो नहीं दिखा सके। मुझ एस०आई० द्वारा टॉर्च की रोशनी से इधर–उधर कारतूस तलाश किया तो एक खोखा कारतूस .32 बोर घटनास्थल से बरामद हुआ। फर्द एस०एच०ओ० वी०के० यादव द्वारा मौके पर टॉर्च की रोशनी में लिखी थी और सभी को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर बनवाये थे, मेरे भी हस्ताक्षर फर्द पर बने हैं। मूल फर्द पत्रावली पर उपलब्ध है, जिस पर गवाह ने खुद के हस्ताक्षर होना तस्दीक किया है, जिस पर प्रदर्श क–01 डाला गया। फर्द मौके पर तैयार करके माल व मुल्जिम को थाने ले जाकर समय 00.20 AM दिनांक 08.05.2012 को मुकदमा पंजीकृत कराया था। इस संबंध में दिनांक 09.07.2019 को न्यायालय में मेरे बयान अंकित किये गये हैं। संबंधित विवेचक को भी मैंने बयान दिये थे। इस पूरे प्रकरण में मैं गिरफ्तारी टीम के साथ रहा था। "

11. अभियुक्तगण की ओर से की गयी जिरह में उक्त साक्षी ने कथन किया कि "इस घटना के समय मैं उपनिरीक्षक के पद पर थाना पिलखुवा पर तैनात था। घटना दिनांक 07.05.2012 रात 10.20 बजे की है। थाने से हम 18.40 बजे निकले थे। थाने से घटनास्थल एक–डेढ़ किमी होगा। थाने से निकलकर हमने थोड़ी देर करीब दो घण्टे छिजारसी चौकी पर चैकिंग की थी, उसके बाद गश्त में मोहल्ला रमपुरा पिलखुवा कस्बा में गश्त कर रहे थे। कस्बा पिलखुवा में हमने करीब डेढ़ घण्टा गश्त की थी। डेढ़ घण्टा हम गाड़ी से ही गश्त करते रहे, कहीं रुके नहीं। मुकीमपुर वाले रास्ते पर हम गश्त करते हुए लगभग दस बजे पहुंचे थे। उस समय मैं व एस०एच०ओ० वी०के० यादव, कां० ड्राइवर मदन, कां० रणधीर व कां० अमित थे। मुकीमपुर मोड़ से घटनास्थल 90 या 100 कदम होगा। हमें वहां पहुंचने में पांच मिनट लगे थे। हमने दो कांस्टेबलों को और मौके पर बुलाया था। इनको हमने करीब 10.05

बजे बुलाया था। जब मुखबिर ने हमें बदमाशों की सूचना दे दी थी, उसके बाद उन्हें बुलाया था। हमारी सूचना के करीब 10 मिनट बाद दोनों कांस्टेबल आ गये थे। इतने हम वहीं खड़े रहे थे। बदमाशों को हमने करीब 20 कदम से टॉर्च की रोशनी में देखा था। जहां हमें सूचना मिली थी, वहीं हमने गाड़ी खड़ी कर दी थी। घटनास्थल के पूरब, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण में क्या क्या है, अब मुझे याद नहीं है। घटनास्थल के आस-पास आबादी नहीं थी। घटनास्थल सार्वजनिक रास्ता है, जो चलता रहता है, किन्तु रात्रि में कम चलता है। घटनास्थल के सामने इंजीनियरिंग कॉलेज है। घटनास्थल के सामने डूहरी पेट्रोल पंप स्थित है। हमने स्वतंत्र साक्षी का प्रयास किया था, किन्तु कोई नहीं मिला था और न ही हमने स्वतंत्र साक्षी के नाम पते लिए थे। हम सब बदमाशों को पकड़ने एक साथ चले थे। यह बात सही है कि हमने किसी कर्मचारी को गोली आदि की कोई चोट नहीं आयी थी। पिस्टल के खोखा ढूंढने पर जमीन पर मिला था और तमंचे का खोखा तमंचे के अंदर मिला था। पिस्टल हमने मौके पर खोलकर देखी थी, उसमें एक कारतूस मैग्जीन में मिला था। सभी पुलिसकर्मियों ने सभी की सभी ने जामा तलाशी ली थी। सील करने के लिए कपड़ा, मोमबत्ती, धागा ली थी। सील मुहर सब मेरी जेब में था। घटनास्थल से मुल्जिमान को लेकर थाने हम दिनांक 08.05.2012 में 00.20 बजे पहुंचे थे। घटनास्थल से थाना पहुंचने में हमें दो घण्टे लगे थे। फर्द मौके पर वी०के० यादव ने बनाई थी। मैं नहीं बता सकता कि विवेचक ने उन अवैध असलाहों को जांच के लिए भेजा था या नहीं। यह कहना गलत है कि पुलिस ने गुडवर्क दिखाने के लिए मुल्जिमान को झूठा फंसाया हो और उनसे झूठी बरामदगी दिखाई हो। यह कहना गलत है कि मैंने थाने पर बैठकर पूरी कार्यवाही की हो। यह कहना गलत है कि मैं झूठी गवाही दे रहा हूं।"

12. अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से विवेचक बतौर पी०डब्ल्यू०-02 सेवानिवृत्त पुलिस उपाधीक्षक विमल किशोर यादव को परीक्षित कराया गया जिनके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किये गये कि "दिनांक 07.05.2012 को मैं बतौर एस०एच०ओ० थाना पिलखुवा पर तैनात था। उस दिन रपट नं० 45 समय 18.40 बजे से रवाना होकर अपने साथ एस०आई० भगवत स्वरूप, कान्स्टेबल रणवीर, कान्सटेबल अमित कुमार, मय जीप सरकारी मय कान्स्टेबल ड्राईवर वास्ते चैकिंग संदिग्ध वाहन व व्यक्ति तथा गश्त शांति व्यवस्था हेतु अंदर इलाका रवाना होकर चौकी छिजारसी पर वाहन चैकिंग करने के उपरांत कस्बा पिलखुवा में गश्त करते हुए मोहल्ला रमपुरा के मोड़ पर पहुंचे तो मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि दो बदमाशों का गैंग सरस्वती इंजीनियरिंग कालेज के पास फरीदपुर डूहरी पेट्रोल पम्प पर जाने वाले रास्ते पर लूट करने के इरादे से मय असलाह के साथ मौजूद हैं। शीघ्र जाकर नहीं पकड़े गये तो आने जाने वाले वाहनों एवं व्यक्तियों की लूटपाट करेंगे। सूचना पर विश्वास करके लेपर्ड ड्यूटी के लगे कान्सटेबल कौशलेन्द्र व रविन्द्र पाल को तलब किया गया। उनकी मोटरसाइकिल रमपुरा में खड़ी कराकर अपने साथ मय मुखबिर उसके बताये स्थान की तरफ चल दिये। जनता का कोई गवाह गवाही देने के लिए तैयार नहीं हआ। आपस में एक दूसरे की जामा तलाशी ली गयी कि हमारे पास कोई अवैध असलाह नहीं था। सरस्वती इंजीनियरिंग कालेज के सामने खड़े बदमाशों को देखकर मुखबिर ने इशारा किया और वह वहां से चला गया। हमने उन बदमाशों पर टार्च की रोशनी डाली और ललकारा तो उन्होंने हम पर गोली चला दी और बोले मारो, पुलिस है, जिससे हम बाल बाल बच गये और हमने आवश्यक बल प्रयोग करके समय करीब 22.20 बजे पकड़ लिया। पकड़े गये अभियुक्तों में एक ने अपना नाम शौकीन उर्फ किस्सू पुत्र

जाफर निवासी नाहली थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद बताया, जिससे एक 32 बोर देशी पिस्टल बरामद हुई। जिसमें लगी मैगजीन में दो जिंदा कारतूस थे और एक मैगजीन अलग से उसकी जेब से बरामद हुई। पिस्टल व मैगजीन का हुलिया फर्द में अंकित किया गया। पिस्टल का खोखा कारतूस मौके पर गिरा हुआ मिला। दूसरे ने अपना नाम अजीम पुत्र नसरूद्दीन निवासी मोहल्ला शमशाद रोड माता के पास कस्बा व थाना पिलखुवा जिला हापुड़ बताया, जिससे एक तमंचा देशी 9 एमएम बरामद हुआ। हुलिया फर्द में अंकित किया गया। दो जिंदा कारतूस व तमंचे की नाल में एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। दोनों अभियुक्तों को हिरासत में लेकर फर्द मौके पर मेरे द्वारा तैयार की गयी। जिसकी एक प्रति अभियुक्तगण की सहमति से अभियुक्त शौकीन को दी गयी। हमराहीगण के हस्ताक्षर कराये गये मूल फर्द पत्रावली पर है। जिस पर पूर्व में प्रदर्श क–01 डला हुआ है।" इस साक्षी द्वारा अभियुक्त शौकीन से बरामद माल में पुलिंदा कपड़ा को वस्तु प्रदर्श–01 के रूप में, पिस्टल देशी 32 बोर को वस्तु प्रदर्श–02 के रूप में, मैग्जीन को वस्तु प्रदर्श–03 के रूप में, जिंदा कारतूस को वस्तु प्रदर्श–04 के रूप में, खोखा कारतूस को वस्तु प्रदर्श–05 के रूप में, अभियुक्त अजीम से बरामद माल में पुलिंदा कपड़ा को वस्तु प्रदर्श–06 के रूप में, देशी तमंचा 9 MM को वस्तु प्रदर्श–07 के रूप में, जिंदा कारतूस को वस्तु प्रदर्श–08 के रूप में, खोखा कारतूस को वस्तु प्रदर्श–09 के रूप में सिद्ध किया गया।

13. अभियुक्तगण की ओर से की गयी जिरह में उक्त साक्षी ने कथन किया कि "घटना के समय मैं थाने पर प्रभारी निरीक्षक के पद पर तैनात था। घटना दिनांक 07.05.2012 की थी। अभियुक्तगण को दिनांक 07.05.2012 को रात्रि 10.20 बजे गिरफ्तार किया। घटनास्थल थाने से करीब 1 किमी दूरी पर होगा। हम थाने से समय 18.40 बजे रवानगी करके चले थे। घटनास्थल पर 10.20 बजे ही पहुंचे थे। समय 18.40 बजे से छिजारसी चौकी पर चैकिंग की, उसके बाद चौकी पर चैकिंग करने की प्रविष्टि छिजारसी चौकी पर की थी या नहीं। बदमाशों की सूचना समय लगभग 10 बजे के आसपास मिली थी। सूचना मुखबिर ने दी थी। जहां पर सूचना मिली थी, वहां से घटनास्थल की दूरी लगभग आधा किमी होगी। घटनास्थल तक पहुंचने में 15–20 मिनट का समय लगा था। हम लोग सरकारी जीप से गये थे। मेरे साथ दरोगा जी भगवत स्वरूप थे। कां० रणवीर व अमित कुमार व कौशलेन्द्र व रविन्द्र पाल थे। जीप को हमने घटनास्थल से 200 मीटर पहले छोड़ दिया था। जब हम वहां पहुंचे तो वहां पर बदमाश खड़े थे। जनता के किसी व्यक्ति का हमने नाम पता नोट नहीं किया था। ये लोग बिना नाम पता नोट कराए चले गये थे। हमने जहां जीप खड़ी की थी, वहीं पर एक दूसरे की जामा तलाशी ली थी। सबने एक–दूसरे की जामा तलाशी ली थी। जीप खड़ी करने व जामा तलाशी लेने में हमें करीब 5 मिनट लगे थे। जीप मेन रोड से थोड़ा पहले खड़ी की थी। हमने मोहल्ला रमपुरा में रास्ते से निकलने वाले लोगों से गवाही के लिए पूछताछ की थी। मोहल्ला रमपुरा घटनास्थल से आधा किमी दूरी पर है। दोनों बदमाश पैदल थे। हम पुलिसकर्मी बदमाशों की तरफ इकट्ठे फैलकर जा रहे थे। बदमाशों ने हम पुलिस वालों के ऊपर दो गोली चलाई थीं। किसी भी पुलिसकर्मी को कोई चोट नहीं लगी थी। यह बात सही है कि घटनास्थल मेन रोड पर है, उस पर आवाजाही रहती है। घटनास्थल के पूरब में इंजीनियरिंग कॉलेज, पश्चिम में खेत, उत्तर में सड़क फरीदनगर के लिए, दक्षिण में सड़क डूहरी पेट्रोल पंप के लिए जाती है। घटनास्थल के चौहारे से थोड़ा आगे की तरफ था। पुलिसकर्मी में मेरे व एस०आई० भगवत स्वरूप के पास रिवॉल्वर थी तथा कां० पर राइफलें थीं और लैपर्ड वालों पर छोटे हथियार थे।

पुलिस ने कोई फायर नहीं किया था। मुल्जिमान ने थोड़ा सा भागने का प्रयास किया था, सिपाहियों ने दौड़कर पकड़ लिया था। बरामदशुदा हथियारों को हमने खोल बंद करके मौके पर देखा था। हथियारों को जांच के लिए भेजने का काम विवेचक का था। पिस्टल के अंदर लगी मैग्जीन में दो कारतूस थे तथा एक मैग्जीन खाली बरामद हुई थी। तमंचे के साथ दो जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। बरामद कारतूसों को देखकर गवाह ने कहा कि ये वही कारतूस हैं जो बरामद हुए थे। जो खाली खोखा बरामद हुआ था, वह आज मेरे सामने नहीं है। पिस्टल के साथ दो जिंदा कारतूस व एक खोखा कारतूस बरामद हुआ था। सील मोहर करने का सामान, मोमबत्ती, धागा, लाख दरोगा जी भगवत स्वरूप के पास होगा या हमारी जीप में रहा होगा। सील मोहर का सामान हर समय हमारे साथ जीप में मौजूद रहता है। फर्द मैंने तैयार की थी, मेरे हस्तलेख में है। मुल्जिमान से बरामदशुदा हथियारों पर नंबर लिखा था, जो फर्द में लिखा है, नंबर मुझे इस समय ध्यान नहीं है। मुझे ध्यान नहीं है कि बरामद हथियारों पर गोली चलने का कोई पाउडर का निशान था या नहीं। यह कहना गलत है कि मैंने गुडवर्क दिखाने के लिए मुल्जिमान पर फर्जी मुकदमा लिखा हो। यह कहना गलत है कि मुल्जिम शौकीन को हम घर से उठाकर लाये हों और फर्जी मुकदमा लिखा हो। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान से कोई हथियार बरामद न हुआ हो। यह कहना सही है कि इस घटना में किसी पुलिसकर्मी के कोई चोट न लगी हो। यह कहना गलत है कि मैं आज न्यायालय में झूठी गवाही दे रहा हूं।"

14. अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से विवेचक बतौर पी०डब्ल्यू०–03 सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक रोशन लाल को परीक्षित कराया गया। इस साक्षी द्वारा अपने बयानों में प्रस्तुत प्रकरण की विवेचना ग्रहण करते हुए नक्शा नजरी तैयार करने तथा तमामी विवेचना एवं संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित करने का कथन किया गया है। इस साक्षी द्वारा अपने बयानों के माध्यम से नक्शा नजरी को प्रदर्श क–06 के रूप में, आरोप पत्र अंतर्गत धारा 307 भा०दं०सं० विरुद्ध गोपाल पण्डित व अजीम को प्रदर्श क–07 के रूप में, आरोप पत्र अंतर्गत धारा 25 आर्म्स एक्ट विरुद्ध गोपाल पण्डित को प्रदर्श क–08 के रूप में तथा आरोप पत्र अंतर्गत धारा 25 आर्म्स एक्ट विरुद्ध अजीम को प्रदर्श क–09 के रूप में सिद्ध किया गया है।

15. अभियुक्तगण की ओर से की गयी जिरह में उक्त साक्षी ने कथन किया कि "घटना के समय मैं थाना पिलखुवा में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था, इस मुकदमे की विवेचना घटना के दूसरे दिन मुझे प्राप्त हो गई थी। विवेचना एस०एच०ओ० के मौखिक आदेश पर मिली थी, लिखित कोई आदेश नहीं था। मैं पहली बार घटनास्थल पर दिनांक 18.05.2012 को गया था। घटनास्थल के उत्तर में फरीदनगर, दक्षिण में खेत लखपत गेहूं का, पूरब में इंजीनियरिंग कॉलेज, पश्चिम में डूहरी पेट्रोल पंप है। घटनास्थल पर काफी कम आवाजाही रहती है। मैंने तमंचे को एफ०एस०एल० जांच के लिए नहीं भेजा था। मेरे द्वारा मुल्जिमान की गिरफ्तारी नहीं की गयी थी, इसलिए मुझे जानकारी नहीं है कि तमंचा, कारतूस के अलावा क्या–क्या बरामद हुआ था। मुल्जिमान से एक खोखा कारतूस व दो जिंदा कारतूस बरामद हुए थे। यह बात सही है कि इस पूरी घटना में किसी पुलिसकर्मी को कोई चोट नहीं लगी थी। मेरे द्वारा बयान कां० अमित कुमार, कां० शैलेन्द्र कुमार, कां० राजीव कुमार, एस०आई० भगवत स्वरूप व एस०एच०ओ० विमल किशोर यादव के बयान लिये थे। मैंने दिनांक 08.05.2012 को एस०एच०ओ० विमल कुमार, 18.05.2012 को कां० अमित कुमार, कां० कौशलेन्द्र कुमार

व दिनांक 20.05.2012 को एस०आई० भगवत स्वरूप के बयान लिये थे। इन सबके बयान थाने में लिए थे। यह कहना गलत है कि मैंने थाने पर बैठकर ही संपूर्ण विवेचना की हो तथा समस्त पर्चे थाने पर बैठकर ही काटे हों। यह कहना गलत है कि मैं एस०एच०ओ० साहब के कहने पर पुलिस का गुडवर्क दिखाने को पूरी विवेचना की हो। यह कहना गलत है कि मैंने निरीक्षण घटनास्थल न किया हो।"

विवेचन

16. अभियोजन पक्ष को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना है कि दिनांक 07.05.2012 को समय करीब 22.20 बजे बस्थान सरस्वती इंजीनियरिंग कॉलेज, दिनेश नगर के पास, थाना पिलखुवा, जिला गाजियाबाद, वर्तमान जिला हापुड़ में अभियुक्त शौकीन व अजीम द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में थाना पिलखुवा की पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया, जिससे वे बाल–बाल बचे। यदि अभियुक्तगण के उक्त फायर से किसी पुलिसकर्मी की मृत्यु कारित हो जाती तो अभियुक्तगण शौकीन व अजीम हत्या के अपराध के दोषी होते। दौरान गिरफ्तारी अभियुक्त शौकीन उर्फ किंसू के कब्जे से एक पिस्टल देशी .32 बोर मेड इन यू०एस०ए०, नाल में फंसे दो जिंदा कारतूस .32 बोर व पैंट की जेब से एक मैग्जीन तथा अजीम के कब्जे से एक अदद तमन्चा 9 MM बोर, नाल में फंसा जिंदा कारतूस 9 MM बोर व दो जिंदा कारतूस 9 MM बोर के बरामद हुए।

17. अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये सभी साक्षीगण द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है तथा अभियोजन कथानक को संदेह से परे साबित किया है। अतः अभियुक्तगण को दोष सिद्ध कर दंडित किया जाए।

18. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मुकदमा वादी ने झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये साक्षीगण के बयानों में विरोधाभास है। अभियुक्तगण ने पुलिस पर जान से मारने का कोई हमला नहीं किया तथा न ही उनके कब्जे से किसी प्रकार की कोई नाजायज वस्तु बरामद हुई। उक्त केस में पुलिस ने झूठी एफ०आई०आर० दर्ज की है तथा झूठा आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाये।

19. उल्लेखनीय है कि अभियोजन पक्ष की ओर से अपने समर्थन में कुल 03 अभियोजन साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है। अब उचित होगा कि अभियोजन साक्षीगण का तथ्यात्मक एवं तुलनात्मक परीक्षण किया जाए। पी०डब्ल्यू०–01 द्वारा प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि घटनास्थल के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में क्या–क्या है, अब मुझे याद नहीं है। आगे कथन किया है कि **हमने स्वतंत्र साक्षी का प्रयास किया था, किन्तु कोई नहीं मिला और न ही हमने स्वतंत्र साक्षी के नाम पते लिए थे।** आगे कथन किया कि **हममें किसी कर्मचारी को गोली आदि की कोई चोट नहीं आई थी।** आगे कथन किया कि मैं नहीं बता सकता कि विवेचक ने उन अवैध असलाहों को जांच के लिए भेजा था या नहीं। इसी प्रकार पी०डब्ल्यू०–02 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि जनता के किसी व्यक्ति का हमने नाम पता नोट नहीं किया था। आगे कथन किया कि बदमाशों ने हम पुलिस वालों के

ऊपर दो गोली चलाई थीं। किसी भी पुलिसकर्मी के कोई चोट नहीं थी। आगे कथन किया कि पुलिस ने कोई फायर नहीं किया था। यह कहना सही है कि इस घटना में किसी पुलिसकर्मी के कोई चोट नहीं लगी थी। उपरोक्त दोनों साक्षीगण फर्द बरामदगी के साक्षी हैं तथा इनके द्वारा ही अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया है। उपरोक्त दोनों साक्षीगण के द्वारा यह कथन स्वीकार किया गया है कि प्रस्तुत घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है तथा किसी भी पुलिसकर्मी को कोई चोट नहीं आयी थी। इस प्रकार स्वयं अभियोजन साक्षीगण के कथानानुसार अभियुक्तगण से कथित बरामदगी/गिरफ्तारी का कोई स्वतंत्र साक्षी भी नहीं है, जिससे अभियुक्तगण अभियोजन कथानक संदिग्ध हो जाता है।

20. अभियुक्तगण शौकीन उर्फ किंसू व अजीम द्वारा पुलिसपार्टी को जान से मारने की नीयत से तमंचों से फायर करने अंतर्गत धारा 307/34 भा०दं०सं० तथा अभियुक्त शौकीन उर्फ किंसू के कब्जे से एक पिस्टल देशी .32 बोर मेड इन यू०एस०ए०, नाल में फंसे दो जिंदा कारतूस .32 बोर व पैंट की जेब से एक मैग्जीन तथा अभियुक्त अजीम के कब्जे से एक अदद तमन्चा 9 MM बोर, नाल में फंसा जिंदा कारतूस 9 MM बोर व दो जिंदा कारतूस 9 MM बोर बरामद होने अंतर्गत धारा 25 आयुध अधिनियम का भी आरोप है। उक्त के संबंध में पी०डब्ल्यू०–01 द्वारा अभियुक्त की ओर से की गयी जिरह में कथन किया गया है कि यह बात सही है कि हममें किसी कर्मचारी को गोली आदि की कोई चोट नहीं आयी थी। इसी प्रकार पी०डब्ल्यू०–02 द्वारा प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि बदमाशों ने हम पुलिस वालों के ऊपर दो गोली चलाई थीं। किसी भी पुलिसकर्मी को कोई चोट नहीं लगी थी। यह कहना सही है कि इस घटना में किसी पुलिसकर्मी को कोई चोट नहीं आयी थी। पी०डब्ल्यू०–03 द्वारा प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि यह बात सही है कि इस पूरी घटना में किसी पुलिसकर्मी के कोई चोट नहीं लगी थी। अर्थात अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित कराये गये अभियोजन साक्षीगण में से सभी ने यह कथन किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा चलायी गयी फायर से किसी भी पुलिसकर्मी को कोई चोट नहीं आयी थी, जो कि अभियोजन कथानक को बल प्रदान नहीं करती है।

21. पी०डब्ल्यू०–03 विवेचक सेवानिवृत्त रोशन लाल द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि **मैंने तमंचे को एफ०एस०एल० जांच के लिए नहीं भेजा था।** पत्रावली के परिशीलन से यह भी स्पष्ट है कि अन्वेषण या अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण से बरामद आयुद्ध को परीक्षण के लिये कि, क्या वह आग्नेयास्त्र हैं या नहीं, विधि विज्ञान प्रयोगशाला प्रेषित नहीं किया गया। जिसके सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **बुद्ध सिंह एवं अन्य बनाम स्टेट आफ यू०पी० 2006 (3) एस०सी०सी० कि० 377** की निर्णय विधि में यह प्रतिपादित किया गया है कि बरामद माल को एक माह बाद बैलिस्टिक एक्सपर्ट के पास जांच के लिये भेजने पर रिपोर्ट पर विश्वास न करने का पर्याप्त कारण माना गया है, जबकि प्रस्तुत मामले में बरामद माल तमंचा व जिंदा कारतूस को जांच के लिये भेजा ही नहीं गया है। **विधि व्यवस्था बूटा सिंह बनाम स्टेट आफ पंजाब 1997 एस०सी०सी० क्रि0 1217** में यह प्रतिपादित किया गया है कि "बैलिस्टिक एक्सपर्ट या आर्मोरर के पास जांच के लिये न भेजे जाने पर जिससे यह स्पष्ट हो सके कि बरामद माल आर्म्स एण्ड एम्यूनिशन या फायर आर्म की परिभाषा में आते हैं, दोषसिद्धि को सही नहीं माना जा सकता है।"

22. यहां यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्तगण ने पुलिस वालों पर जान से मारने की नीयत से फायर किया, लेकिन फायर किसी पुलिस वाले को नहीं लगा और न ही पुलिस वालों ने अपने बचाव में मुलजिमान पर कोई फायर किया। यहां तक कि प्रस्तुत मामले में गिरफ्तारी के समय अभियुक्तगण तमंचा व कारतूस आदि से लैस थे, फिर भी अभियुक्तगण को पकड़ने में पुलिस वालों को कोई चोट नहीं आयी। इसके अतिरिक्त अभियुक्त इससे प्रस्तुत घटना संदिग्ध हो जाती है। इस संबंध में विधि व्यवस्था **नरायन सिंह बनाम स्टेट आफ यू०पी० 2005; (52) एच.सी. 902** की निर्णय विधि उल्लेखनीय है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि हथियार से युक्त अभियुक्त को पकड़ने में अभियुक्त या पुलिसकर्मी को कोई चोट न आना और जनता का कोई गवाह न होने पर दोषसिद्धि को सही नहीं माना जा सकता।

23. इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष की ओर से पत्रावली पर तथ्य के जो साक्षीगण परीक्षित किये गये हैं, उनके साक्ष्य से उपरोक्त मुकदमे में कारित घटनाक्रम में अभियुक्तगण की संलिप्तता सिद्ध नहीं की जा सकी है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष अपने उपरोक्त समग्र साक्ष्य के माध्यम से युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित करने में असफल रहा है कि **"दिनांक 07.05.2012 को समय करीब 22.20 बजे बस्थान सरस्वती इंजीनियरिंग कॉलेज, दिनेश नगर के पास, थाना पिलखुवा, जिला गाजियाबाद, वर्तमान जिला हापुड़ में अभियुक्त शौकीन व अजीम द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में थाना पिलखुवा की पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया, जिससे वे बाल–बाल बचे। यदि अभियुक्तगण के उक्त फायर से किसी पुलिसकर्मी की मृत्यु कारित हो जाती तो अभियुक्तगण शौकीन व अजीम हत्या के अपराध के दोषी होते। दौरान गिरफ्तारी अभियुक्त शौकीन उर्फ किंसू के कब्जे से एक पिस्टल देशी .32 बोर मेड इन यू०एस०ए०, नाल में फंसे दो जिंदा कारतूस .32 बोर व पैंट की जेब से एक मैग्जीन तथा अजीम के कब्जे से एक अदद तमन्चा 9 MM बोर, नाल में फंसा जिंदा कारतूस 9 MM बोर व दो जिंदा कारतूस 9 MM बोर के बरामद हुए।"**

24. उपर्युक्त साक्ष्य के विश्लेषण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण शौकीन उर्फ किंसू, अजीम का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है एवं अभियुक्तगण इसका लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतएव अभियुक्तगण शौकीन उर्फ किंसू, अजीम को धारा 307/34 भा०दं०सं० एवं धारा 25 आयुध अधिनियम के आरोपों से दोषमुक्त किया जाना पूर्णतया न्यायोचित प्रतीत होता है। तदनुसार अभियुक्तगण शौकीन उर्फ किंसू, अजीम लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

–आदेश–

(i) सत्र वाद संख्या 1957/2012, मु०अ०सं०–231/2012, थाना पिलखुवा, जिला हापुड़ के प्रकरण में अभियुक्तगण शौकीन उर्फ किंसू पुत्र जाफर, निवासी ग्राम नाहली, थाना भोजपुर, जिला गाजियाबाद व अजीम पुत्र नसरूद्दीन, निवासी शमशाद रोड कस्बा व थाना पिलखुवा, जिला पंचशीलनगर, वर्तमान जिला हापुड़ को धारा–307/34 भा०दं०सं० के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

(ii) सत्र वाद संख्या 1958/2012, मु०अ०सं० 232/2012, थाना पिलखुवा, जिला हापुड़ के प्रकरण में अभियुक्त शौकीन उर्फ किंसू पुत्र जाफर, निवासी ग्राम नाहली, थाना भोजपुर, जिला गाजियाबाद को धारा– 25 आयुध अधिनियम के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

(iv) सत्र वाद संख्या 1959/2012, मु०अ०सं० 233/2012, थाना पिलखुवा, जिला हापुड़ के प्रकरण में अभियुक्त अजीम पुत्र वीर सिंह उर्फ हरि सिंह, निवासी शमशाद रोड कस्बा व थाना पिलखुवा, जिला पंचशीलनगर, वर्तमान जिला हापुड़ को धारा– 25 आयुध अधिनियम के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त शौकीन उर्फ किंसू जेरे जमानत एवं अभियुक्त अजीम जेरे हिरासत उपस्थित हैं। अभियुक्तगण के जमानतनामे निरस्त किये जाते हैं तथा जामिनानों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त अजीम जिला कारागार मुजफ्फरनगर में निरुद्ध है। अभियुक्त अजीम का रिहाई परवाना, जिला कारागार मुजफ्फरनगर अवलिंब प्रेषित हो।

अभियुक्तगण शौकीन उर्फ किंसू, अजीम प्रत्येक धारा 437(ए) दं०प्र०सं० के अनुपालन में 25,000/– (पच्चीस हजार रूपये) का एक–एक जमानती एवं समान राशि का व्यक्तिगत बंध पत्र दाखिल करेंगे कि अपील होने पर वह अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे।

माल मुकदमा बाद मियाद अपील अथवा अपील किए जाने की स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के दिशा–निर्देश के अनुसार नियमानुसार निस्तारित किया जाये।

आदेश की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर रखी जाए।

पत्रावलियां बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हों।

दिनांकः– 14.07.2026

(हनी गोयल)
(J.O. Code–UP2408)
अपर जिला जज प्रथम,
हापुड़।

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः– 14.07.2026

(हनी गोयल)
(J.O. Code–UP2408)
अपर जिला जज प्रथम,
हापुड़।